

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 698]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2020 — पौष 9, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिये सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम	क्षेत्र/राजस्व जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैकुण्ठपुर	कोरिया	कु. रेशमा बैरागी, II सिविल जज क्लास-I, बैकुण्ठपुर

No. F 11-3/2013/WCD/50. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Judge (Principal Magistrate), mentioned in column (4) as Chairman and including Social workers duly selected by the State Level Selection Committee as members for the area mentioned in column (3) of the table below, namely :-

TABLE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue District	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baikunthpur	Korea	Ku. Reshma Bairagi, II CJ-I Baikunthpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.